प्रपत्र–1

शहरी विकास निदेशालय,43 / 6 माता मन्दिर मार्ग,धर्मपुर,देहरादून।
विज्ञप्ति संख्या 86 / श0वि0नि0 / 2015–16 / वाहन विज्ञप्ति–455 / 15

निदेशालेय हेतु वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु निर्धारित शर्तें:–

1. वाहन का पंजीकरण दिनांक 01–04–2012 के पश्चात का होना चाहिए तथा करार की अवधि (अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक) में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन, परमिट, फिटनैस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैद्य होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, फिटनैस, मोटर वाहन कर, बीमा चालक / स्टाफ वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर सभी प्रकार के सम्बन्धि व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।
   1–(A) मासिक दरों के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं आर0सी0की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
   2–(B) दैनिक दरों के लिये वाहन का नम्बर आवश्यक नही होगा, परन्तु 6 से 8 धण्टे के Short Notice पर भी वाहन की आपूर्ति करनी होगी।
2. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन उत्तम गुणवत्ता (Excellent Condition) का होना चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। दरें वाहन के भौतिक परीक्षण के पश्चात ही अन्तिम की जायेगी।
3. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी ,टूल किट, फस्टऐड बॉक्स, आग बुझाने का संयत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक होगा।
4. आपूर्ति किया जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इंडिया परमिट से आच्छादित होना चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
5. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैध व्यावसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए जो कि Hill endorsed. हो। चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक हैं। वाहन चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना चाहिए। चालक का आचरण एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक / स्टाफ की व्स्था करनी होगी।
6. करार अवधि में किसी प्रकार की क्षति अथवा दुर्घटना की स्थिति में बीमा मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।
7. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Imprest Money) उपलब्ध हो, ताकि यात्रा के दौरान मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सकें।
8. मार्ग / यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने पर विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत होगा।
9. वाहन का उपयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कही भी किया जा सकता है।
10. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub -let) पर नहीं दिया जायेगा।
11. ईंधन की आपूर्ति दैनिक / मासिक (जैसी भी स्थित हो) लौग बुक के आधार पर विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लौग बुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित करना होगा।
12. वाहन में ईंधन की आपूर्ति निर्धारित माइलेज के आधार पर विभाग द्वारा की जायेगी। ऐवरेज कम होने पर उसकी कटौती भुगतान किये जाने वाले किराये से की जायेगी।

13. आवेदन शुल्क रू0–500.00 तथा 13.5 प्रतिशत बिक्री कर सहित कुल रू0 568.00 मात्र जमा करना होगा। यह धनराशि बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के नाम से अथवा नकद जमा की जा सकती है, जो कि Non Refundable होगी।
14. निविदादाता को प्रतिपूर्ति के रूप में रू0–10,000.00 प्रति वाहन की धनराशि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के नाम से एफडीआर/एन0एस0सी0 द्वारा जमा करना होगा।
15. आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी बुलाया जा सकता है, जिसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।
16. वाहन का प्रयोग रात्रि 8:00 बजे के पश्चात एवं देहरादून के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रू0 200/– मात्र प्रतिदिन की दर से नाईट चार्ज का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।
17. <u>भुगतान की रीतिः–</u>

(एक) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थित हो) के आधार पर बजट की उपलब्धतानुसार किया जायेगा।

(दो) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर (टी0 डी0 एस0) की कटौती की जायेगी।

18. <u>सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरणः–</u>

उपरोक्त उल्लिखित शर्तो के अनुपालन न होने पर प्रतिभूति को जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार निदेशक, शहरी विकास का होगा।

19. <u>कर एवं अन्य देयकों का भुगतान–</u>

(एक) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

(दो) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थित में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

20. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम,पी0एफ0, इएसआई,मोटरयान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा।(जहां लागू हो)
21. उन्ही निविदाओं की वित्तीय निविदा खेली जायेगी जो तकनीकी निविदा की सभी शर्तें पूर्ण करते हो।
22. निविदा (प्रपत्र–2) एंव वित्तीय निवदा (प्रपत्र–3) अलग–अलग सील बन्द लिफाफों मे होगी तथा दोनो निविदाए एक बडे लिफाफे में सील बन्द होनी चाहिए।
23. वाहन सम्बन्धी समस्त प्रपत्र एवं धरोहर राशि प्रपत्र–2 के साथ जमा की जायेगी।

शहरी विकास निदेशालय, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
विज्ञप्ति संख्या 86 /श0वि0नि0/2014–15/वाहन विज्ञप्ति–455/15
देहरादूनः दिनाक 15 अप्रैल,2015

प्रपत्र–2

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण				
			पंजीयन प्रमाण पत्र	फिटनैस प्रमाण पत्र	बीमा प्रमाण पत्र	प्रदूषण प्रमाण पत्र	प्रतिभूति प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर————————

फर्म का नाम– ————————

फर्म का पता ————————

मो0न0————————

ई–मेल————————

(घोषणा)

मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं। मैं निविदा के प्रपत्र–1 के सभी शर्तों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता हूं।

हस्ताक्षर————————

शहरी विकास निदेशालय, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
विज्ञप्ति संख्या 86 /श0वि0नि0 / /2014–15/वाहन विज्ञप्ति–455/15
देहरादून: दिनाक 6 अप्रैल,2015

प्रपत्र–3

वाहन का प्रकार	मासिक दरें(रूपये में)		दैनिक दरे (रु0 में)	
	किराया (अंकों में)	किराया (शब्दों में)	किराया (अंकों मे)	किराया (शब्दों में)
टयोटा इनोवा				
टाटा इंडिगो, सी0एस0				
मारुती स्विफ्ट डिजायर				
बुलोरो डी0एल0एक्स0 (6+1) सीटर				
टाटा इंडिका				
होड़ा सिटी				
होडा अमेज				

हस्ताक्षर————————

नाम– ————————

फर्म का नाम————————

मो0न0————————

ई–मेल————————

(घोषणा)

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त भरी गयी सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं। मैं निविदा के प्रपत्र–1 के अनुसार सभी शर्तों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता हूं।

हस्ताक्षर————————